



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
27-01-2024	<p>अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता सुरेश बोदरा, पिता/पति— स्व० श्रीराम बोदरा, ग्राम— गुमदापोखर, थाना— मंझारी, जिला— पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा— सासे, थाना नं0— 154, खाता न0— 31, प्लॉट न0— 1436, रकवा— 0.12 $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि क्रेता प्रसाद समाड, पिता/पति— स्व० माटा सामड, ग्राम—सेरेंगबिल, थाना— मंझारी, के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, ^{नांतनगर} मंझारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, ^{नांतनगर} मंझारी का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 357, दिनांक 19.12.2020 के द्वारा प्राप्त है। चिकित्सा हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता क्रेता प्रसाद समाड, पिता/पति— स्व० माटा सामड, ग्राम—सेरेंगबिल थाना— मंझारी के पास 30,000.00 /—(तीस हजार रुपये) मात्र में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी 6.45 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, ^{नांतनगर} मंझारी एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता सुरेश बोदरा, पिता/पति— स्व० श्रीराम बोदरा, ग्राम— गुमदापोखर, थाना— मंझारी जिला—पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा— सासे, थाना नं0— 154, खाता न0— 31, प्लॉट न0— 1436 , रकवा— 0.12 $\frac{1}{2}$ एकड़, भूमि को क्रेता प्रसाद समाड, पिता/पति— स्व० माटा सामड, ग्राम—सेरेंगबिल, थाना— मंझारी, चाईबासा जिला— पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा</p>	